

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, कुरुक्षेत्र
वन परिसर, पिपली, कुरुक्षेत्र, फोन नं०/फैक्स-01744-230743
E-mail-dfo.kkr-hry@nic.in

क्रमांक: 3767
सेवा में:

दिनांक 11/11/2021

Shri Nath ji Education Society
Village Jhandheri
District Kurukshetra

विषय: Diversion of 0.0162 ha. of forest land for construction of approach road for Educational Building of Shri Nath ji Education Society on Ladwa Shahabad road (SH-07), KM 54-55 R/side at Village Jhandheri under Forest Division & Distt. Kurukshetra (FP/HR/Approach/147272/2021)

संदर्भ: भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के कार्यालय का पत्र क्रमांक 9-HRB001/2022-CHA दिनांक 06.01.2022.

उपरोक्त संदर्भांकित पत्र द्वारा आपके केस में सैधान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः आपको सी0ए0 स्कीम अनुसार जमा करवाने वाली राशि का विवरण (डिमाण्ड नोट) निम्नलिखित प्रॉफोर्मो में भरकर भेजते हुए लिखा जाता है कि प्रस्ताव से सम्बन्धित राशि ₹223894/- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की website <http://privesh.nic.in> पर ऑनलाईन के माध्यम से जमा करवाए, ताकि आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकें।

इसके अतिरिक्त फोरेस्ट राईट एक्ट 2006 का सर्टिफिकेट व Certificate of affiliated from Board/competent authority अपलोड करके इस कार्यालय को सूचित करें।

Sr.	Particular	Amount in ₹
1	Compensatory Afforestation	161173
2	Additional Compensatory Afforestation	0
3	Penal Compensatory Afforestation	0
4	Catchment Area Treatment:	0
5	Safety Zone:	0
6	Additional Charges for protected Area	0
7	Net Present Value (NPV):	14369
8	Felling Charges	0
9	Other Charges (Barbed Wire)	0
10	Soil Moisture Conservation (SMC) Work	48352
	Total	223894
	Remarks	

Pal
वन मण्डल अधिकारी,
कुरुक्षेत्र।
11/01/2022
11/01/22



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND
CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional
Office, Chandigarh



F.No.-: 9-HRB001/2022-CHA

दिनांक: 06-01-2022

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़।
(fcforest@hry.nic.in)

विषय: Diversion of 0.0162 ha of forest land in favour of Shri Nath Ji Educational Society for access to Educational Building of Shri Nath Ji Educational Society along Ladwa-Shahbad road (SH-7) Km. 54-55 R/s at Village Jhandheri, under forest division and District Kurukshetra Haryana. (Online proposal No. FP/HR/Approach/147272/2021)-regarding

संदर्भ (i) State Government online proposal received on dated 30.12.2021.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 0.0162 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैधांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

- प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या S-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगा।
- User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.
- FRA certificate from competent authority to be submitted.
- Certificate of affiliated from Board/competent authority to be submitted.

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

- i. वन भूमि का अधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा।
- iii. The State Government shall upload the KML files of the degraded forest area accepted for raising compensatory afforestation in the E-Green watch portal of FSI, before handing over of forest land to the user agency.
- iv. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- v. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- vi. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- vii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- viii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- ix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- x. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- xii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केंद्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

हस्ता/-
(सी०डी०सिंह)
क्षेत्रीय आधिकारी

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली। (adgfc-mef@nic.in)
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. Divisional Forest Officer, Forest Division District Kurukshetra Haryana (defkkr@yahoo.co.in)
4. SHRI NATH JI EDUCATIONAL SOCIETY
Ladwa Shahbad road Jandhari, Kurukshetra, Haryana.
(mindtree.shahabad@gmail.com)

वेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in

Signed by C D Singh
Date: 06-01-2022 13:45:30
Reason: Approved